नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला आपूर्ति शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण का सूचना।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 8136/खाद्य दिनांक 27.12.2013 के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जारी दिशा–निर्देश के तहत पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड हेतु प्राप्त फॉरमेट के आलोक में विभाग द्वारा तैयार राशन कार्ड के नमूना के अनुरूप राशन कार्ड के मुद्रण कराने हेतु इच्छुच व्यक्ति/फर्मों से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय कक्ष के सामने दिनांक 20.01.2014 को अपराह्न 02:00 बजे तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है।

प्राप्त निविदा उसी दिन दिनांक 20.01.2014 को अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति, नालन्दा के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा का विस्तृत विवरण इस जिले के वेवसाईट nalnada.bih.nic.in पर एवं जिला आपूर्ति शाखा नालन्दा में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

सामग्री का विवरणः–

राशन कार्ड कुल 12 पृष्ठों का होगा। यह राशन कार्ड का मुद्रण लम्बाई 14 CM एवं चौड़ाई 11 CM के आकार में किया जायेगा। राशन कार्ड का कभर पृष्ट (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ) 300 जी0एस0एम0 प्लास्टिक कोटेड कागज ग्रे कलर का होगा। राशन कार्ड के अन्दर के कागज की मोटाई 75 जी0एस0एम0 का होगा। राशन कार्ड के बीच का दो पृष्ट का डाटा कार्यालय से सफल निविदादाता को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सफल निविदादाता प्रत्येक राशन कार्ड में पंचायतवार एवं प्रत्येक परिवार/हाउस होल्डवार दो–दो पृष्ट का डाटा, जो कार्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा, उसे प्रत्येक राशन कार्ड में संलग्न करते हुए परिवार/हाउस होल्डवार एवं पंचायतवार राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय, नालन्दा को उपलब्ध करायेंगे।

(क) निविदा की तकनीकी शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद जमा करना होगा।
2. तकनीकी रूप से सफल निविदा का ही वित्तीय भाग खोला जाएगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पक्ष में 10000/– (दस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।

आवंटित कार्य के Sub Contractinpg की अनुमति मान्य नहीं होगी। इस आशय का Undertaking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय यदि Sub Contracting किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हेतु एवं जमा की गई जमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. तकनीकी निविदा खोलने के समय विभाग द्वारा दिये गए राशन कार्ड नमूना के अनुरूप मुद्रित राशन कार्ड का नमूना संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ S.S.I., PAN No., सेवाकर, वाणिज्यकर एवं Shop and Establishment निबंधन से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2010–11, 2011–12 एवं 2012–13) का आयकर भुगतान संबंधित कागजात जमा करना होगा।
7. निविदादाता को सेवाकर एवं वाणिज्यकर का अद्यतन देयता संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्हें केन्द्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
9. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता द्वारा राशन कार्ड के विशिष्टियों के अनुरूप सभी करों सहित प्रति मुद्रित राशन कार्ड की दर अंकित की जायेगी।
10. संफल निविदादाता को आदेश निर्गत करने के 10 दिनांक के अंदर जिला आपूर्ति कार्यालय में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी तथा इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
11. आपूर्ति की गई सामग्री की जाँच सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, सहारनपुर से कराने के पश्चात् आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
12. गुणवत्ता में कमी अथवा आपूर्ति में विलंब के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होगा एवं तद्नुसार उनके विपत्र का भुगतान स्थगित किया जा सकेंगा अथवा विपत्र से समानुपाती राशि की कटौती की जा सकेगी।
13. सभी करों की स्रोत पर कटौती कर भुगतान की जायेगी।
14. विभाग से प्राप्त राशन कार्ड का नमूना जिला आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य दिवस अवधि में देखा जा सकता है।

अद्योहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

9/1/14

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
नालन्दा।

10/1/14

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।